विविध बैंक प्रकरण संख्या 48/2021(GCMS : 2021/139) पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. शिव कुमार पुत्र आशा राम (प्रोपराईटर मैसर्स शिवम वेयरहाउस) पता पत्थर नं. 42/275, किल्ला नंत्र. 21–25, चक 5 डीबीएन, ग्राम पंचायत भगवानगढ, तहसील सूरतगढ, श्रीगंगानगर (राज.) 2. सौरभ कुमार पुत्र प्रेम कुमार निवासी गांव हरखेवाला, 45 एलएनपी, श्रीगंगानगर (राज.) 3. कृष्ण लाल पुत्र मनीराम गंगपरिया निवासी मकान नं. 53, रामदेव कॉलोनी, चक 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर 4. पुनीत माहर पुत्र शिव कुमार माहर निवासी मकान नं. 24 ए–ब्लॉक, स्काइ हाइ रेसिडेंसी, चक 16 एमएल, यूडी ग्रांड होटल, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक श्री मंगतराम, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थीगण शिव कुमार, सौरभ कुमार, कृष्णलाल एवं पुनीत माहर द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी **शिव कुमार** की **संपरिवर्तित व्यावसायिक सम्पत्ति** (वेयरहाउस) स्थित पत्थर नं. 42/275, किल्ला नं. 21 ,22 ,23 ,24 व 25 (क्षेत्रफल 12018 वर्गमीटर) चक 5 डीबीएन, ग्राम पंचायत भगवानगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर एवं **आवासीय सम्पत्ति** प्लॉट नं. 53बी (क्षेत्रफल 17'6'' गुणा 65' वर्गफुट) गली नं. 4, रामदेव कॉलोनी, मुरब्बा नं. 10, किल्ला नं. 17, चक 5 ई छोटी श्रीगंगानगर, **कृष्ण लाल की संपरिवर्तित व्यावसायिक सम्पत्ति** स्थित पत्थर नं. 42/275, किल्ला नं. 11/1 (क्षेत्रफल 2377 वर्गमीटर), चक 5 डीबीएन, ग्राम पंचायत भगवानगढ, तहसील सूरतगढ, **सौरभ कुमार की आवासीय** सम्पत्ति स्थित ... नं. 2, पत्थर नं. 40/283, किल्ला नं. 23, (क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर), चक 1 एलकेएस, नजदीक भगवानगढ बस स्टैंड तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर एवं **पुनीत माहर** की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 24(क्षेत्रफल 25' गुणा 60' वर्गफुट), ब्लॉक–ए, स्काइ हाइ रेसिडेंसी, चक 16

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एमएल, पटवार सर्कल, 11 एलएनपी, नजदीक हनुमानगढ रोड फ्लाईओवर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2021 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 02.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण शिव कुमार, सौरभ कुमार, कृष्णलाल एवं पुनीत माहर के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **शिव कुमार** की **संपरिवर्तित व्यावसायिक सम्पत्ति** (वेयरहाउस) स्थित पत्थर नं. 42/275, किल्ला नं. 21 ,22 ,23 ,24 व 25 (क्षेत्रफल 12018 वर्गमीटर) चक 5 डीबीएन, ग्राम पंचायत भगवानगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर एवं **आवासीय सम्पत्ति** प्लॉट नं. 53बी (क्षेत्रफल 17'6'' गुणा 65' वर्गफुट) गली नं. 4, रामदेव कॉलोनी, मुरब्बा नं. 10, किल्ला नं. 17, चक 5 ई छोटी श्रीगंगानगर, **कृष्ण लाल की संपरिवर्तित** व्यावसायिक सम्पत्ति स्थित पत्थर नं. 42/275, किल्ला नं. 11/1 (क्षेत्रफल 2377 वर्गमीटर), चक 5 डीबीएन, ग्राम [illegible] भगवानगढ, तहसील सूरतगढ, **सौरभ कुमार की आवासीय** [illegible] नं. 2, पत्थर नं. 40/283, किल्ला नं. 23, (क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर), चक 17 [illegible]केएस, नजदीक भगवानगढ बस स्टैंड तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर एवं पुनीत माहर की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 24(क्षेत्रफल 25' गुणा 60' वर्गफुट), ब्लॉक–ए, स्काइ हाइ रेसिडेंसी, चक 16

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एमएल, पटवार सर्कल, 11 एलएनपी, नजदीक हनुमानगढ रोड फ्लाईओवर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:48 IST
Reason: SelfAttested